

ई-मेल/आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक प. 9 (5) शिक्षा-5/ऑनलाइन मान्यता2018-19/2017

जयपुर दिनांक 02/08/18

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

विषय :- शैक्षिक सत्र 2018-19 में गैर-सरकारी विद्यालयों की मान्यता/क्रमोन्नति हेतु तिथि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- समसंख्यक पत्र दिनांक 16.03.2018, 13.04.2018 07.05.2018 एवं 11.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 में गैर-सरकारी विद्यालयों की मान्यता/क्रमोन्नति हेतु दिशा-निर्देश एवं संशोधित मान्यता टाइम फ्रेम जारी किये गये थे। इन दिशा-निर्देशों के अध्याय-6 के बिन्दु संख्या-10 (मान्यता हेतु टाइम फ्रेम) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	गतिविधि	टाइम फ्रेम	सम्बन्धित कार्यालय
1	आवेदन पत्रों की ऑनलाइन जाँच, सत्यापन दलों का गठन एवं संस्थाओं का भौतिक सत्यापन।	10 अगस्त, 2018 तक	सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय
2	मान्यताओं का निदेशालय/राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना।	17 अगस्त, 2018 तक	जि.शि.अ. माध्य. शिक्षा कार्यालय एवं निदेशालय मा. शि., राजस्थान, बीकानेर/स्कूल शिक्षा ग्रुप-5 विभाग
3	संस्थाओं के मान्यता के योग्य पाए जाने की स्थिति में आरक्षित कोष की राशि के डी.डी. व फिक्सड डिपोजिट का विवरण व दस्तावेज प्राप्त करना।	23 अगस्त, 2018 तक	सम्बन्धित संस्था एवं सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय।
4	मान्यता प्रमाण-पत्र जारी कर विद्यालयों को उपलब्ध करवाना।	28 अगस्त, 2018 तक	सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय
5	मान्यता के लिए अपात्र पायी गयी संस्थाओं को पत्र प्रेषित कर सूचित करना।	31 अगस्त, 2018 तक	सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय
6	पुनः निरीक्षण हेतु शासन स्तर पर परिवेदना प्रस्तुत करना।	मान्यता निरस्त आदेश जारी होने के 10 दिवस में	सम्बन्धित संस्था एवं स्कूल शिक्षा ग्रुप-5 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
7	पुनः निरीक्षण के प्रकरणों के निस्तारण की समस्त कार्यवाही सम्पादित करना।	पुनः निरीक्षण की अनुमति के 15 दिवस में	सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशालय, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

भवदीय
महेश कुमार गैरयानी
(महेश कुमार गैरयानी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक एवं प्राइवेट स्कूल पोर्टल प्रभारी, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. राज्य समन्वयक, पीएसपी-सीसी, शिक्षा संकुल जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव